September 5, 2020

BSE Limited
P. J. Towers
Dalal Street, Fort
Mumbai - 400 001

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza
Bandra Kurla Complex
Bandra (E)
Mumbai - 400 051

Dear Sirs,

Sub.: Submission of copies of published Unaudited Consolidated Financial Results

In continuation of our letter dated September 4, 2020, we enclose the copies of the Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2020 published on September 5, 2020 in MINT (English) and HINDUSTAN (Hindi).

This is for information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,
For Jubilant Life Sciences Limited

RAJIV SHAH
Digitally signed by RAJIV SHAH
Date: 2020.09.05 23:29:13 +05'30'

Rajiv Shah
Company Secretary

Encl.: as above

Jubilant Life Sciences Limited
1-A, Sector 16-A,
Noida-201 301, UP, India
Tel:+91 120 4361000
Fax:+91 120 4234895-96
www.jubl.com

Regd Office:
Bhartiagram, Gajraula
Distt. Amroha - 244 223,
UP, India
CIN : L24116UP1978PLC004624

Following the rainbow revolution

Members and supporters of the LGBTQ+ community take part in Delhi's Queer Pride Parade on 25 November 2018. HINDUSTAN TIMES

Mark Gevisser's deeply reported new book opens up the many debates about LGBQT+ rights and identities unfolding across the globe

Somak Ghoshal
somak.g@livemint.com

On 6 September 2018, as the Supreme Court read down Section 377 of the Indian Penal Code, India reconfigured what Mark Gevisser calls in his new book "the Pink Line". As he explains early on in *The Pink Line: Journeys Across The World's Queer Frontiers*, this is a notional line "between those places increasingly integrating queer people into their societies as full citizens, and those finding new ways to shut them out now that they had come into the open". Such boundaries are opening up conversations about gender and sexual identities on the internet and social media, spilling over into street protests and pride marches, entering our living rooms and workplaces.

Based on his visits and re-visits to different countries over several years—Malawi, Uganda, Egypt, Israel, India, the US, among others—Gevisser documents stories of resilience and fortitude, bravery and heartbreak, to map the shifting contours of these pink lines. While his narrative is grounded in the historical, political, legal and cultural specificities of the places he travelled to, it is also informed by his investment in the subject as a gay man. "I wanted the stories to live and breathe, instead of burdening them with too much context," Gevisser says on a video call from his home in Cape Town, South Africa.

This deft interleaving of macro-analyses with close insights into microcosms lends *The Pink Line* a unique flavour. You can dip into the book anywhere you like, or skip to a character that catches your fancy. There is always Gevisser's constant and reassuring presence, his sharp observations and light-footed erudition, to steer you through the ever-expanding scope and complexity of the LGBTQ+ alphabet soup. As he shows, "the Pink Line" is inspiring uncomfortable conversations within the LGBQT+ movement too, not just conflicts between queer and non-queer populations.

> Clashes and rifts are being created not always because of a refusal to accept queerness, but because authority figures are trying to set the terms and limits for the expression of such identities

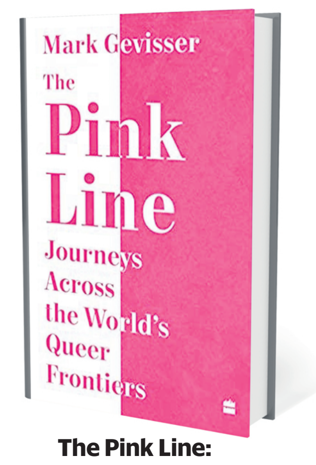

The Pink Line:
By Mark Gevisser, HarperCollins India, 568 pages, ₹699.

A key focus of the narrative, for instance, is to reveal the fault lines that are opening up between a woke generation of queer people, choosing their pronouns and rallying for gender fluidity, and their predecessors, who were satisfied with their constructivist approach to gender as long as they were able to embrace their sexual orientations, even if that meant identifying as one of the male-female binary or abiding by socially encoded heteronormative prescriptions.

Clashes and rifts are being created not always because of a refusal to accept queerness, but because authority figures are trying to set the terms and limits for the expression of such identities. Take, for instance, the case of Sean, whom Gevisser meets in Ann Arbor, US. Sean does not face any opposition from a liberal feminist parent for coming out as lesbian as a teenager. But when Sean opts for the "they" pronoun and announces they are "pansexual but homoromantic", rumblings of discontent erupt on the home front. Gevisser's encounters with another American teenager, the trans man Liam Kai, come as a sobering reminder about the psychological gulf that allies and welfare states have to bridge before they can boast of being non-discriminatory, fair and equal towards all. Rewriting the laws and upping the human-rights ante are not enough to guarantee equality.

The last statement rings especially true in places where sexual minorities have been tolerated historically, either due to progressive laws (in Jordan, for instance, where sodomy was decriminalized in 1951) or as integral to the traditional fabric of society ("eunuchs" in harems, for example). Gevisser's visit to Israel and his meetings with Arab-Jewish couples reveal nuances that may not be obvious from an official rhetoric about the fair treatment of sexual minorities. From exploiting such a stance to stoke Islamophobia, to ethnically profiling members of the LGBTQ+ community, the infractions of the Israeli state have been subtle and insidious.

In India, too, despite the triumphant repeal of Section 377, which criminalized carnal intercourse against the order of nature, the tensions between acting out a sexual urge and owning a sexual identity are far from resolved. As is the case with many Asian and Arab cultures, the idea of non-heteronormative desire was ingrained in India through history, as scholars such as Ruth Vanita and Saleem Kidwai have shown. The objection to queerness in Indian society is often not so much to do with the sexual act itself but with the idea that it could lead to the emergence of new identities, followed by demands for recognition and rights. And so, homosexuality is perceived as a Western import, but homoerotic desire goes back to ancient times.

The opposition to sexual choice is, of course, never benign, or without context. It is, as Gevisser witnesses in Cuddalore, a small town in Tamil Nadu, inflected by class, caste and education. There are real and palpable dangers involved, too, including the threat of violence and bloodshed. The harrowing ordeal of Tiwonge Chimbalanga, nicknamed Aunty, is a case in point. A Malawi who was assigned the male gender at birth, Aunty made international headlines by getting engaged to a man in 2009. The breathtaking story of her ordeal, which opens the book, became a flashpoint in the narrative of global aid—a moment in the human rights struggle that segued into debates about the treatment of refugees. Another story, about a lesbian couple in Cairo who came together during the Arab Spring revolution in 2010-12, ended with them seeking asylum in Europe. Yet, in spite of the promise of a new life, their future is undone by institutionalized racism, inflicted on the sly.

Gevisser's understanding of these fissures in the global narrative of human rights and sexual politics is informed by his personal circumstances, as a white cis-gendered gay male. To his credit, he is aware of his privilege and the advantages it brings. However, while his passport may make it easy for him to fly around the globe and his Ivy League education may open doors, Gevisser is unafraid of putting himself in tough, often vulnerable, positions vis-à-vis his interviewees. "To a couple of them, I became a benefactor, even a father figure of sorts," he admits. "But being cast in that role has helped me, I believe, to unpack some of the issues I try to explore in the book."

No matter where you belong along the spectrum of genders and sexualities, Gevisser's book will make you reflect on your inner and outer pink lines, especially about your own stakes in this teeming ecosystem of identities.

COLORCHIPS NEW MEDIA LIMITED
[CIN : L52110TG1985PLC051404]
House No. 8-3-833/85 & 85A, Plot No. 85,Phase 1, Kamalapuri Colony, Hyderabad – 500073,Telangana. India. T.G. India. Contact No. 040-31923239 Email Id: info@colorchipsindia.com ; Website: www.colorchipsindia.com

Statement of Unaudited Financial Results for the First Quarter ended June 30, 2020

(In Rupees)

Sl. No.	PARTICULARS	Quarter Ended 30.06.2020 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2020 (Unaudited)	Quarter Ended 30.06.2019 (Unaudited)	Year Ended 31.03.2020 (Audited)
1.	Total Income from Operations (Net)	5763230.00	7015462.00	7378714.30	30397255.00
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax and Exceptional items)	(1895382.50)	(3223774.00)	(1415211.70)	(3114559.00)
3.	Net Profit / (Loss) for the period (before tax after Exceptional items)	(1895382.50)	(3223774.00)	(1415211.70)	(3114559.00)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	(1895382.50)	(3223774.00)	(1415211.70)	(3801727.00)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(1895382.50)	(3223774.00)	(1415211.70)	(3801727.00)
6.	Equity Share Capital	170,099,000.00	170,099,000.00	170,099,000.00	170,099,000.00
7.	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)				
	a. Basic (₹) :	(0.1114)	(0.0382)	(0.0832)	(0.2235)
	b. Diluted (₹) :	(0.1114)	(0.0382)	(0.0832)	(0.2235)

Notes :

1. The above is an extract of the detailed unaudited financial results for first quarter ended 30.06.2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full set of unaudited financial results for the first quarter ended 30.06.2020 is available on the Stock Exchange Website (www.bseindia.com) and on the Company's Website: www.colorchipsindia.com.
2. The above Financial results as recommended by the Audit Committee were considered and approved by the Board of Directors at their meeting held on 04.09.2020.

By Order of the Board
For Colorchips New Media Limited
Sd/- (R.S. Sudhish)
Managing Director

Date : 04.09.2020
Place : Hyderabad.

Business of Life
Daily articles on the workplace, and how it is evolving.

mint or nothing
To get your MINT copy, give a missed call on 7039035039 or visit www.mintreaders.com or write to us at subscription@livemint.com

Jubilant Life Sciences Limited
Regd. Off.: Bhartiagram, Gajraula, District Amroha - 244 223 (U.P.) | CIN : L24116UP1978PLC004624
Website: www.jubl.com | Email: investors@jubl.com | Tel: +91-5924-267200

Extract of Consolidated Unaudited Results for the Quarter ended 30 June 2020

(₹ in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended 30 June (Unaudited) 2020	Quarter Ended 31 March (Audited) 2020	Quarter Ended 30 June (Unaudited) 2019	Year Ended 31 March (Audited) 2020
Total revenue from operations	189292	239141	218186	915441
Net Profit before tax and exceptional items	12210	35595	26903	124517
Net Profit before tax (after exceptional items)	12210	35595	26903	121053
Net Profit after tax and exceptional items	8801	26049	18498	89824
Total comprehensive income after tax (comprising profit for the period after tax and other comprehensive income after tax)	16632	17313	23203	93135
Earnings per share of ₹ 1 each (Not annualized)				
Basic (₹)	5.53	16.35	11.61	56.39
Diluted (₹)	5.53	16.35	11.61	56.39
Equity share capital	1593	1593	1593	1593
Reserves excluding revaluation reserves (other equity)				558795

1. The Company has opted to publish consolidated results for the year ended 31 March 2021. The standalone unaudited results are available under Investors section of our website at www.jubl.com and under Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com. Key standalone financial information of the Company is as under:

(₹ in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended 30 June (Unaudited) 2020	Quarter Ended 31 March (Audited) 2020	Quarter Ended 30 June (Unaudited) 2019	Year Ended 31 March (Audited) 2020
Total revenue from operations	75395	79136	78982	313990
Profit before tax	7108	11036	4732	29884
Net profit after tax	5204	11118	3226	32114

2. The above consolidated unaudited results were subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company, reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 4 September 2020.
3. The above is an extract of the detailed format of the consolidated unaudited results for the quarter ended 30 June 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format for the consolidated unaudited results for the quarter ended 30 June 2020 is available under Investors section of our website at www.jubl.com and under Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com.

For Jubilant Life Sciences Limited
Hari S. Bhartia
Co-Chairman & Managing Director

Place : Noida
Date : 4 September 2020

सीएम ने डोर टू डोर सर्वे और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने को कहा

लखनऊ समेत 5 शहरों में संक्रमण रोकें: योगी

कोरोना से लड़ाई

लखनऊ | विशेष संवाददाता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोविड-19 के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए डोर-टू-डोर सर्वे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तथा मेडिकल टेस्टिंग के कार्य प्रभावी ढंग से किए जाएं। उन्होंने लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी, प्रयागराज तथा गोरखपुर में संक्रमण रोकने के विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार कोअनलाक व्यवस्था की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा कल 5 सितम्बर को कानपुर नगर जाकर मौके पर चिकित्सा व्यवस्था की समीक्षा करें। इसी तरह अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और अपर मुख्य सचिव पंचायतीराज एवं ग्राम्य विकास लखनऊ की स्थिति की समीक्षा करें। लखनऊ की टीम के साथ कुलपति, केजीएमयू और निदेशक एसजीपीजीआई भी रहें। उन्होंने कहा कि कानपुर नगर और लखनऊ में प्रत्येक दशा में संक्रमण का प्रसार नियंत्रित किया जाए। इसके लिए समीक्षा कर कमियां चिन्हित करते हुए उनका निराकरण कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कानपुर नगर की समीक्षा करने वाली टीम 6 सितम्बर को प्रयागराज जाकर स्थिति की समीक्षा करे और कमियों को दूर कराए। उन्होंने कहा कि जेल कर्मियों की भी नियमित जांच की जाए। कैदियों को जेल भेजने से पहले अस्थायी जेल में रखा जाए।

अधिक जीएसटी संग्रह के लिए रजिस्ट्रेशन बढ़ाए जाएं

मुख्यमंत्री ने जीएसटी संग्रह में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस संबंध में रजिस्ट्रेशन बढ़ाने पर जोर दिया जाए। व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न भरने के लिए प्रशिक्षित भी किया जाए। बुनकरों की समस्याओं का व्यावहारिक समाधान के लिए एक ठोस कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत की जाए।

बुंदेलखंड को जैविक खेती का हब बनाएंगे : योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भौतिक विकास के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, डिफेंस कॉरिडोर और चित्रकूट को केंद्र मानकर पर्यटन विकास के विविध कार्य जारी हैं, हम बुंदेलखंड को जैविक खेती का हब बनाना चाहते हैं। इससे उत्पाद की कीमत अधिक मिलने से किसान भी खुशहाल होंगें। इससे बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या अन्ना प्रथा से निजात भी मिलेगी और किसान अच्छे नस्ल के गोवंश पालने के लिए प्रेरित होंगे। अगर हम ऐसा कर सके तो पूरे देश में बुंदेलखंड की नई पहचान होगा।

भाजपा पता नहीं क्यों जनता का उत्पीड़न कर रही है

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में समाज के कमजोर वर्गो, किसानों, बुनकरों के प्रति भाजपा सरकार का रवैया उपेक्षा और संवेदनशून्यता का है। पता नहीं क्यों भाजपा जनहित पर ध्यान देने के बजाए जनता को उत्पीड़न का शिकार बनाने में ज्यादा रूचि लेती है। सत्ता में आए साढ़े तीन साल बीत गए। जनता के कल्याण की एक भी योजना वह लागू नहीं कर पाई, बस पूरे समय तक वह समाजवादी सरकार के अच्छे कामों को नकारने और दिखावे में, उन्हें अपना बताने की कवायद ही करती रही है।

अतिकुपोषित बच्चों के परिवार को गाय व मदद

लखनऊ | विशेष संवाददाता

पोषण माह सात से

- गाय पालने के लिए 900 रुपये की आर्थिक मदद भी दी जाएगी
- सात सितम्बर से शुरू हो रहा है पोषण माह

राज्य सरकार अतिकुपोषित बच्चों के अभिभावकों को एक-एक गाय देगी। गाय के पालन-पोषण के लिए 900 रुपये की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान की। मुख्यमंत्री शुक्रवार को 7 सितम्बर से शुरू हो रहे पोषण माह की तैयारियों के संबंध में बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के समन्वय से ही कुपोषण दूर किया जा सकता है। उन्होंने अगले 6 महीने में प्रदेश भर में कुपोषण की दर में 1 फीसदी की कमी लाने के प्रयास करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने अच्छा काम करने वाले जिलों को पोषण पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दो महीने बाद वह इस कार्यक्रंम की खुद समीक्षा करेंगे। लाभार्थी को गाय देने से दूध मिलेगा इससे न केवल स्वास्थ्य अच्छा होगा बल्कि कम्पोस्ट भी तैयार होगी।

सिपाही भर्ती : मेडिकल जांच सात से

हिन्दुस्तान जॉब्स

लखनऊ | विशेष संवाददाता

सिविल पुलिस व पीएसी में सिपाही पद पर अक्तूबर -2018 में हुई सीधी भर्ती परीक्षा में चुने गये 14000 अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा व चरित्र सत्यापन की कार्यवाही 7 सितम्बर से शुरू होगी।

उत्तर प्रदेश के चयनित अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण उनके गृह जनपदों में करवाया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनका गृह जनपद उत्तर प्रदेश में न होकर अन्य राज्य में हैं, उनके लिए अगल-अलग जिले तय किए गए हैं।

बिहार व झारखण्ड के अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण वाराणसी में, मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों का झांसी में, छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों का प्रयागराज में, राजस्थान के अभ्यर्थियों का आगरा, दिल्ली व हरियाणा के अभ्यर्थियों का मेरठ, पंजाब, हिमांचल प्रदेश व उत्तराखण्ड के लोगों का सहारनपुर और इनके अलावा अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों का चिकित्सीय परीक्षण लखनऊ में होगा।

पुलिस मुख्यालय से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि सभी एसएसपी, एसपी, जनपद प्रभारी चिकित्सीय परीक्षण तिथि, समय, स्थान का विवरण संबंधित जिले के पुलिस लाइन गेट व नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों से कहा गया है कि वह अपने साथ बुलावा पत्र और सभी अभिलेख लेकर तय तारीख व समय पर उपस्थिति होंगे।

संक्षेप

सेवाकाल में मृत्यु पर ग्रेच्युटी का अधिकार

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर उसके परिवार को ग्रेच्युटी पाने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि रिटायरमेंट का विकल्प नहीं होने के आधार पर ग्रेच्युटी नहीं रोकी जा सकती है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने बदायूं की सरोज कुमारी, बरेली की रेशम प्यारी और पीलीभीत की प्रेमवती देवी की याचिकाओं पर दिया है। तीनों याची के पति बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक थे, जिनकी सेवा काल के दौरान मृत्यु हो गई।

प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों पर निर्णय का निर्देश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी भर्ती 2011 की प्रतीक्षा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के मामले में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को तीन माह में नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची बोर्ड को प्रत्यावेदन दें और बोर्ड उस पर उचित निर्णय लेकर उन्हें अवगत कराए।

सपा ने कई पदाधिकारी घोषित किए

लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने शुक्रवार को भी कई जिलों में संगठन में पदाधिकारी तय कर दिए। आमिर हुसैन महाराजगंज सपा जिला अध्यक्ष बने हैं। कुशीनगर में डॉ. मनोज यादव कुशीनगर सपा जिला अध्यक्ष बने हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने सपा व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी घोषित किए हैं।

पेंशन निर्धारण में प्रैक्टिस बंदी भत्ता जोड़ा जाएगा

लखनऊ। ऐसे राजकीय चिकित्सक जिन्हें सेवानिवृत्ति के समय मूलवेतन के 25 फीसदी की दर से प्रैक्टिस बंदी भत्ता मिल रहा था, उनके मूलवेतन में जनवरी 2016 से निर्धारित मूलवेतन का 20 फीसदी प्रैक्टिस बंदी भत्ता जोड़ा जाएगा। इसी के आधार पर नौ मार्च 2019 से उनके पेंशन व पारिवारिक पेंशन का पुनर्निधारण किया जाएगा।

ब्राह्मणों-मुस्लिमों का हो रहा है उत्पीड़न

लखनऊ। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा-भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों और दलितों का चुन-चुन कर उत्पीड़न किया गया, अब भाजपा सरकार में ब्राह्मणों व मुसलमानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। बसपा सुप्रीमो ने शुक्रवार को ट्वीट कर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आज विद्युत बिलिंग केंद्र बंद

लखनऊ। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पांच सितम्बर को तकनीकी परीक्षण के लिए करीब दो हजार विद्युत उपकेंद्र व ऑनलाइन बिलिंग केंद्र बंद रहेंगे। पावर कॉरपोरेशन के अधीक्षण अभियंता एपी सिंह ने बताया कि सर्वर ठप होने के कारण विद्युत उपकेंद्र, जनसुविधा केंद्र व इंटरनेट पर विद्युत बिल जमा नहीं हो सकेगा। इस दौरान दो लाख उपभोक्ताओं का बिल जमा नहीं हो पायेगा और न ही विभागीय कार्य होगा।

अभिरक्षा में युवक की मौत पर तीन पर हत्या का केस

श्रावस्ती। छेड़छाड़ के एक मामले में पुलिस ने तीन दिन पहले आरोपी युवक को घर से उठाया। गुरुवार की रात पुलिस अभिरक्षा में युवक की मौत हो गई। इस पर ग्रामीणों ने गिलौला थाने का घेराव कर दिया। एसपी के निर्देश पर थानेदार समेत तीन पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस दर्ज किया गया। साथ ही थानेदार विनोद कुमार, एसआई विजय नाथ, एसआई जयप्रकाश सिंह, मुख्य आरक्षी एकलाख खां व महिला आरक्षी प्रिया मिश्रा को निलंबित कर दिया गया है।

कृषि फीडर के किसानों से शहरी शेड्यूल से वसूली

लखनऊ। राज्य में शहरी क्षेत्रों के आसपास के किसानों को कृषि फीडर से महज 10 घंटे बिजली देने के बाद भी उनसे शहरी दर से बिजली बिल की वसूली की जा रही है। इसके साथ ही शहरी व ग्रामीण उपभोक्ताओं से उनके कनेक्शन के लिए पैसा जमा कराने के बाद भी विद्युत विभाग के स्टोर समय से सामान नहीं दे पा रहे हैं। इन मामलों की शिकायत उपभोक्ता परिषद ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से की है। उ.प्र. राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने शहरी सीमा से लगे किसान जिन्हें कृषि फीडर से कनेक्शन दिए जाने के बाद शहरी शिड्यूल से बिजली बिल देने का मामला ऊर्जा मंत्री के सामने उठाया।

डीएम बनाने के लिए अब परफार्मेंस की होगी परख

लखनऊ | प्रमुख संवाददाता

डीएम की कुर्सी पर बने रहने या फिर बनने की चाहत रखने वाले आईएएस अफसरों को अपनी परफार्मेंस सुधारनी होगी। इतना ही नहीं सरकारी योजनाओं का लाभ पात्रों को अनिवार्य रूप से देना होगा। शिकायतों का सही तरीके से निस्तारित करना होगा, झूठी सूचना देना भारी पड़ेगा।

डीएम बनने के लिए करना होगा काम: राज्य सरकार प्रदेशवासियों को योजनाओं का लाभ देने और उन्हें समय से न्याय दिलाने को डीएम की तैनाती के लिए परफार्मेंस को आधार बनाने पर जोर देने जा रही है। सरकार चाहती है कि प्रदेश की जनता के साथ किसी तरह का कोई अन्याय न हो। इसके लिए सबसे जरूरी है कि योग्य और साफ छवि वाले आईएएस अफसरों की डीएम के पद पर तैनाती की जाए।

सूत्रों का कहना है कि उच्च स्तर से निर्देश दिया गया है कि जिलों में साफ छवि वाले आईएएस अफसरों को ही डीएम बनाया जाए। इसके साथ ही किसी डीएम को हटाने से पहले उसका परफार्मेंस रिकार्ड देखा जाए। मसलन जिले में रहने के दौरान उसने लोकहित में कितना काम किए हैं। प्रत्येक आईएएस अफसर का परफार्मेंस रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाए, जिससे तैनाती के समय इसे आधार बनाया जाए।

इनके पास दोहरा चार्ज

- आलोक सिन्हा एपीसी के साथ वाणिज्य कर का अतिरिक्त प्रभार
- रेणुका कुमार एसीएस राजस्व विभाग के साथ बेसिक शिक्षा
- मनोज कुमार सिंह एसीएस ग्राम विकास विभाग के साथ पंचायती राज विभाग
- दीपक कुमार प्रमुख सचिव आवास के साथ नगर विकास विभाग
- जितेंद्र कुमार भाषा के साथ संस्कृति, राष्ट्रीय एकीकरण, पर्यटन
- अनुराग श्रीवास्तव नमामि गंगे, ग्रामीण जल संसाधन के साथ लघु सिंचाई, भूजल

दिल्ली-मेरठ के बीच रैपिड रेल को होगा करार

कैबिनेट का फैसला

राज्य मुख्यालय | प्रमुख संवाददाता

दिल्ली, गाजियाबाद व मेरठ के बीच तेज गति से चलने वाली रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना में केंद्र और यूपी के बीच होने वाले मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओयू) को शुक्रवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी गई। आवास विभाग के अधिकारी इस पर अब हस्ताक्षर कर केंद्र सरकार को भेजेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एमओयू को दी गई मंजूरी के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लोगों की सुविधाओं के लिए इसे चलाया जाएगा। इससे जहां भीड़-भाड़ व प्रदूषण कम होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के अवसरों तक लोगों की पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। दिल्ली, गाजियाबाद व मेरठ के बीच आरआरटीएस परियोजना की कुल लागत 30274 करोड़ रुपये है। इसमें केंद्र सरकार 5872 करोड़, दिल्ली सरकार 1180 करोड़ और यूपी सरकार 6048 करोड़ रुपये देगी।

केंद्र और राज्य सरकार इस परियोजना को मंजूरी दे चुकी है। इससे एनसीआर के लोगों को जहां सार्वजनिक परिवहन की बेहतर सुविधा मिलेगी, वहीं एनसीआर में भविष्य में बढ़ते वाहनों के दबाव से मुक्ति मिलेगी।

स्टांप ड्यूटी से छूट: प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में यूपीसीडा की जमीन पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी माफ कर दी है। यह जमीन सरस्वती हाईटेक सिटी परियोजना के लिए है।

पेयजल का काम तेज होगा: प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाइप के जरिये घरों तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति का काम अब तेज किया जाएगा। इस बाबत शुक्रवार को कैबिनेट में करीब 11 हजार करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी गयी।

यूपी में मछली पालन को मिलेगा बढ़ावा

प्रदेश में अब मछली पालन को और बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के तहत मत्स्य पालकों को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। शुक्रवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिये इसे मंजूरी दी गई। योजना के जरिये मछुआरा समुदाय से संबंध रखने वाले लोगों के लिए ऋण की सुविधा आसान की जाएगी, ताकि जलीय उत्पादों से संबंधित या अन्य को व्यवसाय करने में बढ़ावा मिले।

राष्ट्रपति के यहां से वापस मंगाया जाएगा प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अभिकरण के गठन संबंधी प्रस्ताव को राष्ट्रपति कार्यालय से वापस मंगवाया जाएगा। इस संबंध में कैबिनेट बाईसर्कुलेशन में निर्णय लिया गया। पहले यह अभिकरण लखनऊ में खोला जाना था। इसे कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद विधानसभा से पास करवाया गया था। राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए इसे भेजा गया था लेकिन बाद में राज्य सरकार ने इसका कार्यालय प्रयागराज में भी खोलने का निर्णय लिया। अब संशोधित विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।

सभापति के खिलाफ लाया जा सकेगा अविश्वास प्रस्ताव

गन्ना विकास परिषदों के सभापति के खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा। अभी तक भ्रष्टाचार या परिषद के सदस्यों का विश्वास हासिल न होने पर भी सभापति को हटाए जाने के लिए कोई नियम कानून नहीं था। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिये गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम में संशोधन किया गया।

कैंसर संस्थान के लिए दवा खरीद को मंजूरी

प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था और सुदृढ़ करने के लिए मंत्रिपरिषद ने शुक्रवार को दो प्रस्ताव पास किए। लखनऊ स्थित सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान को क्रियाशील करने के लिए औषधियों तथा सर्जिकल की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कैंसर संस्थान को क्रियाशील करने के लिए अंतरिम व्यवस्था के तहत औषधियों और सर्जिकल उपकरणों की खरीद के लिए एसजीपीजीआईएमएस लखनऊ में प्रभावी दर अुबंध के आधार पर किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण के मेडिकल कालेज जो ललितपुर, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैय्या, कानपुर देहात और कौशांबी में बने हैं। इनसे संबंध जिला चिकित्सालय/रेफरल अस्पताल के संचालन की सोसाइटी गठन को भी कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है।

यूपी में रिकॉर्ड 6193 नए केस

लखनऊ। शुक्रवार को राज्य में कोरोना के रिकार्ड 6193 नए केस मिले। इससे पूर्व 30 अगस्त को 6175 कोरोना मरीज मिले थे। राज्य में इस समय संक्रमण के 58,595 एक्टिव केस हैं। 1,90,818 मरीज इलाज के बाद पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं। यूपी में रिकवरी की दर इस समय 75.37 फीसदी है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 5006 मरीज स्वस्थ हुए हैं जबकि 72 मरीजों की मृत्यु हो गई। महामारी ने अब तक 3,762 लोगों की जान ली है। अब तक 2,53,175 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं।

1.46 लाख जांचें: गुरुवार को राज्य में 1,46,601 सैंपल की जांच की गई थी। अब तक 61 लाख 96 हजार 994 सैंपल की जांच की जा चुकी है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में 30,084 लोग होम आइसोलेशन में हैं।

गायत्री प्रजापति को कोर्ट से अंतरिम जमानत

लखनऊ | विधि संवाददाता

लगभग साढ़े तीन साल से गैंगरेप और पॉक्सो के आरोपों जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दो महीने की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होते ही, प्रजापति को सत्र अदालत अथवा जेल अधीक्षक के समक्ष तत्काल समर्पण करना होगा।

यह आदेश न्यायमूर्ति वेद प्रकाश वैश ने गायत्री प्रजापति की द्वितीय जमानत याचिका पर दिया। न्यायालय ने उन पर कई शर्तें भी लगाई हैं। न्यायालय ने उन्हें कोर्ट की अनुमति के बिना देश न छोड़ने व पासपोर्ट जमा करने के भी आदेश दिये हैं। साथ ही न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि याची अपने मोबाइल नम्बर विवेचनाधिकारी को उपलब्ध कराएगा व उसे हर समय स्विच ऑन रखेगा।

चार सप्ताह में नियुक्त करें सीआईसी

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के रिक्त पद को चार सप्ताह में भर लिया जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि इन चार हफ्तों में नियुक्ति नहीं होती तो मुख्य सचिव को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने डॉ. नूतन ठाकुर की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया।

बिना शुल्क पत्र नहीं होगा डाउनलोड

लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कनिष्ठ सहायक (विशेष चयन) के लिए 15 से 23 सितंबर तक साक्षात्कार होगा। इसके लिए साक्षात्कार शुल्क जमा करने को लेकर स्थिति साफ की गई है। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन्होंने साक्षात्कार शुल्क जमा कर दिया है, उन्हें फिर नहीं जमा करना है। वहीं जिन्होंने नहीं जमा किया है उन्हें जमा करना होगा। इसके बाद ही साक्षात्कार पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा।

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ
ईमेल : eecoekgmu@gmail.com

सीनियर रेजिडेन्ट (डेन्टल) एवं अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन हेतु वेबसाइट पर देखें
www.kgmu.edu.in और www.kgmu.org

परीक्षा नियंत्रक

उ.प्र.लघु उद्योग निगम लि.
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
110, औद्योगिक आस्थान, फजलगंज, कानपुर-208 012
फोन: 0512-2241622, 2236642, फैक्स: 0512-2213974

ई-निविदा सूचना तिथि : 05.09.2020 | प्रिबिड मीटिंग तिथि : 14.09.2020 | ई-निविदा खुलने की तिथि : 22.09.2020

ई-निविदा सूचना

उ.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा कोल समन्वयक की नियुक्ति किये जाने हेतु ई-निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। ई-निविदा दिनांक 21-09-2020 को सांय 6:00 बजे तक अपलोड की जा सकती हैं तथा दिनांक 22-09-2020 को दोपहर 01:00 बजे गठित निविदा समिति के समक्ष ऑनलाइन खोली जायेंगी। निविदा का विस्तृत विवरण निगम की वेबसाइट Website : www.upsic.in एवं ई-टेन्डर पोर्टल https://etender.up.nic.in पर भी उपलब्ध है।

प्रबन्ध निदेशक

Jubilant Life Sciences Limited

Regd. Off.: Bhartiagram, Gajraula, District Amroha - 244 223 (U.P.) | CIN : L24116UP1978PLC004624
Website: www.jubl.com | Email: investors@jubl.com | Tel: +91-5924-267200

Extract of Consolidated Unaudited Results for the Quarter ended 30 June 2020

(₹ in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended			Year Ended
	30 June (Unaudited) 2020	31 March (Audited) 2020	30 June (Unaudited) 2019	31 March (Audited) 2020
Total revenue from operations	189292	239141	218186	915441
Net Profit before tax and exceptional items	12210	35595	26903	124517
Net Profit before tax (after exceptional items)	12210	35595	26903	121053
Net Profit after tax and exceptional items	8801	26049	18498	89824
Total comprehensive income after tax (comprising profit for the period after tax and other comprehensive income after tax)	16632	17313	23203	93135
Earnings per share of ₹ 1 each (Not annualized)				
Basic (₹)	5.53	16.35	11.61	56.39
Diluted (₹)	5.53	16.35	11.61	56.39
Equity share capital	1593	1593	1593	1593
Reserves excluding revaluation reserves (other equity)				558795

1. The Company has opted to publish consolidated results for the year ended 31 March 2021. The standalone unaudited results are available under Investors section of our website at www.jubl.com and under Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com. Key standalone financial information of the Company is as under:

(₹ in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended			Year Ended
	30 June (Unaudited) 2020	31 March (Audited) 2020	30 June (Unaudited) 2019	31 March (Audited) 2020
Total revenue from operations	75395	79136	78982	313990
Profit before tax	7108	11036	4732	29884
Net profit after tax	5204	11118	3226	32114

2. The above consolidated unaudited results were subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company, reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 4 September 2020.
3. The above is an extract of the detailed format of the consolidated unaudited results for the quarter ended 30 June 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format for the consolidated unaudited results for the quarter ended 30 June 2020 is available under Investors section of our website at www.jubl.com and under Financial Results at Corporates section of www.nseindia.com and www.bseindia.com.

For **Jubilant Life Sciences Limited**

Place : Noida
Date : 4 September 2020

Hari S. Bhartia
Co-Chairman & Managing Director

गाजियाबाद हज हाउस की भी होगी जांच

लखनऊ | विशेष संवाददाता

उत्तर प्रदेश जल निगम की इकाई सीएंडडीएस द्वारा लखनऊ व गाजियाबाद में बनाए गये हज हाउसों के निर्माण में भी अनियमितता प्रकाश में आई है। इसकी जांच भी एसआईटी से करवाई जाएगी।

इस बाबत विशेष सचिव अनिल कुमार सिंह पहले ही विशेष अनुसंधान बल के डीजी को पत्र भेज चुके हैं। पत्र में कहा गया है कि गाजियाबाद के आला हजरत हज हाउस और लखनऊ के हज हाउस के निर्माण में जरूरत से ज्यादा धनराशि खर्च हुई। उसके बाद भी पाई गई कमियां दूर नहीं करवाई गईं। इस निर्माण में सरकारी धन के दुरुपयोग की भी आशंका जताई गई है। इस पत्र में दो महीने के अन्दर जांच रिपोर्ट मांगी गयी है। इन दोनों हज हाउसों का निर्माण समाजवादी पार्टी की दो सरकारों के कार्यकाल में हुआ। सपा की इन दोनों सरकारों में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद आजम खां ही थे।

आदेश: अल्पसंख्यक विकास में घोटाले की एसआईटी जांच

लखनऊ | विशेष संवाददाता

प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में तहत अल्पसंख्यक आबादी वाले 47 जिलों में हुए निर्माण कार्य की एसआईटी से जांच के आदेश दिए हैं। यह धांधली वर्ष 2010 से 2016 के बीच बसपा व सपा के कार्यकाल में हुए निर्माण कार्य में की गई है। निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश सरकार के जल निगम के अधीन कार्य करने वाली सीएंडडीएस को दिए गए थे। लिहाजा, जांच की जद में सीएंडडीएस के इंजीनियर व अधिकारी भी हैं।

प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने गुरुवार की देर रात तक चली समीक्षा बैठक के बाद एसआईटी जांच का फैसला किया है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने अभी कुछ ही दिन पहले सीएंडडीएस को ब्लैक लिस्ट करते हुए उसे अब कोई नया काम न देने का भी फैसला किया था। मगर पुराने कामों में दी गई राशि का समुचित व समय से उपयोग न किए जाने और सरकारी धन का दुरुपयोग करने की आशंका पर अब एसआईटी जांच करवायी जाएगी। एसआईटी जांच के साथ ही विभाग की टेक्निकल कमेटी भी जांच करेगी। यह टेक्निकल कमेटी आंकलन करेगी कि सीएंडडीएस ने धनराशि लेकर भी जहां-जहां निर्माण कार्य पूरे नहीं किए हैं, वहां अब कितना काम बचा हुआ है और उस पर अब कितना धन और खर्च होगा।